दूरभाष :– 0755–2678468, 2678402 ई–मेल :– gmmarketing123@gmail.com

विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालयः जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं 462008

TIN - 23024101648 PAN – AABAT 4628 H

क0/उपा0एवंमि0/क0मि0प्र0/ 8338 /2017 भोपाल दिनांक 19.01.2017

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0
ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुरकलां, दतिया, भिण्ड, होशंगाबाद,
बैतूल, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा,जबलपुर, बालाघाट,
मंडला।

विषय :– धान की कस्टम मिलिंग प्रकिया : खरीफ विपणन वर्ष 2016–17

1. भूमिका :–

1.1. विपणन संघ द्वारा विगत वर्षो में खरीफ उपार्जन अवधि में लगभग 6 लाख मे0 टन धान क्रय की जाती रही है। इस प्रकार उपार्जित धान की मिलिंग करवाकर लगभग 4 लाख मे0 टन चावल सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को प्रदाय किया जाता रहा है।

1.2. विदित है कि वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन दिनांक 15 नवम्बर 2016 से 15 जनवरी 2017 की अवधि में किया गया है। निर्णय लिया गया है कि यथासमय मिलिंग पूर्ण कराने के उद्देश्य से मिलिंग का कार्य 23 जनवरी 2017 से आरंभ किया जावें। इसी क्रम में राज्य में वर्तमान वर्ष 2016–17 के लिए धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के MPSCSC या FCI को प्रदाय करने की अवधि 31 जुलाई 2017 तक निर्धारित की गयी है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि धान मिलिंग हेतु एक निश्चित कार्ययोजना बनायी जाकर उस पर अनिवार्य रूप से अमल किया जाये।

1.3. विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी धान के विरूद्ध सही गुणवत्ता एवं मात्रा का चावल प्राप्त हो सके, इस हेतु मिलिंग की वर्तमान प्रकिया का पुनः निर्धारण करते हुए कम्प्यूटरीकृत प्रकिया लागू की गई है। खरीफ उपार्जन 2016–17 की धान मिलिंग हेतु तत्संबंधी प्रकिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

2. मिलर्स का पंजीयन :–

2.1 खरीफ उपार्जन 2016–17 में उपार्जित धान की मिलिंग प्रकिया प्रारंभ होने के पूर्व मिलर्स को सर्वप्रथम अपना पंजीयन CSMS सॉफ्टवेयर में करना होगा। पंजीयन उपरांत मिलर्स के साथ धान मिलिंग का अनुबंध "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत पर किया जावेगा।

2.2 "प्रथम आओ प्रथम पाओ" का आशय यह है कि जो मिलर्स पहले पंजीयन करेगा उसके साथ उसकी मिलिंग क्षमता के अनुसार अनुबंध सर्वप्रथम किया जावेगा। इस

19-01-2017

संबंध में मिलर्स द्वारा पंजीयन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी एवं केन्द्र शासन के मिलिंग के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विपणन संघ द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जावेगा।

परन्तु यह सिद्धांत विगत खरीफ़ विपणन वर्ष में मिलिर्स द्वारा किये गये मिलिंग कार्य के आकलन अनुसार निम्न वरीयता कम को ध्यान में रखते हुए लागू किया जावेगा–

1. प्रथम वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनका ट्रेक रिकार्ड पूर्णतः स्वच्छ हो।
2. द्वितीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा विगत वर्ष यथासमय धान नहीं उठाया गया अथवा नियत समय पर सी0एम0आर0 प्रदाय नहीं किया गया।
3. तृतीय वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी0एम0आर0 उचित गुणवत्ता का नहीं पाया गया व यथास्थिति प्रदायित सी0एम0आर0 बदला गया।
4. चतुर्थ वरीयता – ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा प्रदायित सी0एम0आर0 उचित गुणवत्ता का नहीं पाया गया व सूचना के उपरांत भी सी0एम0आर0 नहीं बदला गया।

2.3 पंजीयन करने के पूर्व मिलर को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया जावें :–

- पंजीयन की जानकारी भरने के पूर्व मिल संचालक का छायाचित्र एवं मिल संचालक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर स्केन कराकर पेन ड्राइव में रखा जाये ताकि पंजीयन के समय उक्त जानकारी अपलोड की जा सकें।
- पंजीयन फार्म में चाही गयी सभी जानकारियां भरे जाने पर ही पंजीयन पूर्ण माना जायेगा।
- विपणन संघ की जानकारी के अनुसार यदि मिलर्स द्वारा भरी जानकारी भ्रामक/गलत पाई जाती है, तो उस स्थिति में पंजीयन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
- एक बार पंजीयन फार्म निरस्त होने के बाद दूसरी बार पंजीयन करने हेतु संबंधित मंडल प्रबंधक की अनुमति आवश्यक होगी।
- पंजीयन प्रकिया में सफल होने पर मिलर को **SMS** के माध्यम से सूचना एवं पंजीयन का कमांक प्रेषित किया जाएगा।
- मिलर द्वारा विपणन संघ के साथ किये जाने वाले समस्त पत्राचारों में उक्त पंजीयन कमांक का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- मिलर द्वारा **CMR** कारपोरेशन या **FCI** को प्रदाय करते समय ट्रक चालान पर उक्त पंजीयन कमांक की सील लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- पंजीयन फार्म में मिलर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों या मिल संचालक का मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। इसी मोबाइल नंबर पर समस्त सूचनाएं **SMS** के माध्यम से दी जायेगी।

2.4 पंजीयन फार्म का विवरण परिशिष्ट–1 अनुसार होगा।

2.5 विपणन संघ के जिला कार्यालय द्वारा पंजीयन फार्म के परीक्षण उपरांत अनुबंध हेतु स्वीकार/अस्वीकार करने की जानकारी को **SMS** के माध्यम से भी दी जाएगी। साथ ही **CSMS** में इसकी जानकारी भरी जावेगी।

19-01-2017

3. मिलिंग क्षमता का आकलन –

3.1 मिलर द्वारा पंजीयन में उपलब्ध की गयी जानकारी के आधार पर पूरे सीजन में मिलिंग क्षमता का आकलन निर्धारित प्रारूप में **CSMS** से प्रिंट किया जावेगा। अनुबंध की अधिकतम मात्रा का आकलन मिल की प्रति घंटा मिलिंग क्षमता **X** 16 घंटा **X** 25 दिवस (1 माह में) के मान से किया जावेगा।

प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन का प्रमाणीकरण अथवा मिल के चालू होने की स्थिति ज्ञात करने हेतु पूर्व के तीन माह के बिजली बिल की छाया प्रति प्राप्त की जावें, जिसमें वास्तविक रूप से मिल चलने से विद्युत विभाग द्वारा अंकित यूनिट (औसत बिल न हो) दर्शित होना चाहिए। जिला विपणन अधिकारी भौतिक रूप से भी मिल के चालू होने की स्थिति ज्ञात करें।

जो मिल जनरेटर से चल रही है, उस हेतु पूर्व के तीन माह के डीजल के देयकों की छाया प्रतियां, राईस मिल का भौतिक सत्यापन तथा राईस मिल की मिल जनरेटर से चल रही है, इस बाबत जिला उद्योग केन्द्र/अन्य स्थानीय विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें।

उदाहरण के लिए – 2 **MT** प्रति घंटा मिलिंग क्षमता की मिल 1 माह में 800 **MT** धान की ही मिलिंग कर सकेंगी (2 **X** 16 **X** 25)। तथापि यदि विगत वर्ष के बिजली/डीजल बिलों के आधार पर मिलर यह स्थापित कर पाते है कि वे दो शिफ्ट में मिल चला रहे है, तो दो गुना मिलिंग मात्रा तक अनुबंध किया जा सकता है।

4. पंजीकृत मिलर्स के साथ धान मिलिंग हेतु अनुबंध –

4.1 जिन मिलर्स का पंजीयन स्वीकार कर लिया गया है, उन सभी मिलर्स को विपणन संघ के साथ परिशिष्ट– 2 अनुसार प्रारूप में अनुबंध करना होगा। यह अनुबंध प्रति 60 कार्यदिवस के लिए करना होगा, अर्थात मिलिंग सीजन में प्रति मिलर से 3 बार अनुबंध किया जा सकेगा।

अनुबंध अवधि में अनुबंधित मात्रा के एक तिहाई भाग की धान की मिलिंग कर एक तिहाई समय के समानुपातिक रूप से मिलर द्वारा चावल का परिदान सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को करना होगा। 30 दिवस तक राईस मिलर्स द्वारा अनुपातिक रूप से धान की मिलिंग कर चावल कार्पोरेशन में नहीं देने की स्थिति में अनुबंध समाप्त **(Agreement termination)** हो जावेगा तथा अनुबंध अनुसार राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

4.2 जितनी मात्रा का अनुबंध किया गया है उतनी मात्रा की मिलिंग के पश्चात विपणन संघ एवं मिलर आपसी सहमति से नया अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

19-04-2017

5. गोदाम निकासी योजना –

5.1 मिलिंग क्षमता के आकलन के पश्चात मिलर्स को धान प्रदाय हेतु गोदाम निकासी योजना का निर्धारण किया जाना होगा। इस हेतु **WLC** के सहयोग से गोदाम से धान निकासी योजना परिशिष्ट– 3 अनुसार बनायी जाये, जिसे गोदाम प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाये। यह योजना ब्रांचवार/प्रदाय केन्द्रवार बनेगी।

5.2 योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जावें कि किसी भी गोदाम से जिसमें से केवल धान दी जा रही हो 20 ट्रक से अधिक निकासी किसी एक दिनांक में न हो।

6. मिलर्स को धान प्रदाय हेतु गोदामों का निर्धारण –

6.1 उपरोक्त निकासी योजना के पश्चात मिलर्स कार्ययोजना परिशिष्ट– 3 ग तैयार करें। इस योजना में यह ध्यान रहे कि गोदाम से मिलर्स की मिल की न्यूनतम दूरी अनुसार 3 गोदामो का चयन करें।

6.2 **CSMS** अंततः प्राथमिकता क्रम, मिलिंग क्षमता एवं गोदाम निकासी तथा जमा क्षमता के आधार पर कार्य करेगा तथा **Queue** निर्धारित करेगा। अर्थात वह प्राथमिकता क्रम के आधार पर **Millers** को गोदाम एवं निकासी की तारीख देगा। यदि मिलर निश्चित तिथि को धान नहीं उठा पाता है तो वह **Queue** में पीछे चला जावेगा। **Miller** को परिशिष्ट– 4 क अनुसार प्रारूप में मासिक **Delivery Order** जारी किया जावेगा। यह **Delivery Order** प्रदाय केन्द्र के लोगिन में भी दिखेगा जिसके आधार पर गोदाम से धान की निकासी की जावेगी।

7. मिलर्स से प्राप्त **CMR** जमा कराने हेतु गोदामों की प्राथमिकता का निर्धारण –

7.1 मिलिंग क्षमता के निर्धारण पश्चात परिशिष्ट– 4 ख अनुसार प्रारूप में जानकारी का संधारण किया जाये, जिसमें गोदाम क्षमता के मान से **CMR** जमा हेतु गोदामों की प्राथमिकता तय की जावेगी।

7.2 पत्रक तैयार करते समय यह ध्यान रखा जावे कि मिलिंग क्षमता क्या है एवं गोदाम से मिल की दूरी कितनी है। उक्त पत्रक अनुसार ही मिलर्स से प्राप्त चावल को गोदामों में जमा किये जाने बाबत **CSMS** में प्रावधान किया जा रहा है।

7.3 यह ध्यान रखा जाये कि जमा हेतु मिलर को सर्वप्रथम पास के प्रदाय केन्द्र से गोदाम को मेप किया जाये, जिसे जिला अपने **PDS** में वितरित करेगा।

7.4 प्रदाय केन्द्र की माह की आवश्यकता पूरी होने के पश्चात रेक पाइंट के पास वाले गोदामों में संग्रहण कराया जाये।

7.5 प्रत्येक संग्रहण केन्द्र पर **Stack Area** मिलर्स के नाम से सुरक्षित किया जाये तथा मिलवार स्टेक लगाये जावें जिससे निम्न गुणवत्ता के चावल की स्थिति में संबंधित मिलर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए यथास्थिति वसूली की जा सकें।

8. मिलर्स को धान के डिलेवरी आर्डर जारी करना –

8.1 धान के डिलेवरी आर्डर **CSMS** से निम्नानुसार जारी किये जावेंगे –

- जिला कार्यालय के लॉगइन में जाएं।
- **Paddy Milling** विकल्प का चयन करें।
- मिलर का नाम एवं अनुबंध कमांक का चयन करें।
- अनुबंध अनुसार धान की शेष मात्रा दिखेगी।
- **Delivery Order** दिनांक एवं वैधता तिथि का चयन करें।
- जारी की जाने वाली मात्रा, धान के लॉट का चयन करें।
- प्रदाय केन्द्र, शाखा एवं गोदाम का चयन करें जिससे धान जारी की जाना है।
- लॉट कमांक स्वतः दिखेगा।
- **Submit** पर क्लिक कर डिलेवरी आर्डर प्रिंट करें।
- मिलर को एक बार में कम से कम 1 लॉट धान जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

9. डिलेवरी आर्डर के विरूद्ध मिलर्स को धान जारी करना –

9.1 जिला कार्यालय द्वारा मिलर्स को जारी डिलेवरी आर्डर के विरूद्ध प्रदाय केन्द्र द्वारा निम्नानुसार धान जारी किया जावेगा –

- प्रदाय केन्द्र के लॉगइन में **Paddy Milling** विकल्प का चयन करें।
- **Issue Against Paddy to Miller** का चयन करें।
- डिलेवरी आर्डर कमांक का चयन करें। सूची में वही डी0ओ0 दिखेंगे जिनके विरूद्ध धान जारी किया जाना शेष है।
- चुने गए **D.O** के विरूद्ध जारी धान की मात्रा की प्रविष्टि करें।
- **Save** पर क्लिक एंट्री सुरक्षित करें।
- डिलेवरी चालान 2 प्रतियों में प्रिंट करें एवं प्रथम प्रति पर मिलर्स के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लेकर प्रदाय केन्द्र के रिकार्ड में रखें। द्वितीय प्रति मिलर्स के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराऐं।

10. मिलर द्वारा चावल (**CMR**) जमा करने की प्रकिया –

10.1 मिलर द्वारा धान की मिलिंग के पश्चात अपने पास उपलब्ध ट्रक लोड चावल की जानकारी कारपोरेशन के जिला प्रबंधक को दूरभाष या **SMS** के माध्यम से देना होगी।

10.2 जिला प्रबंधक द्वारा यह दर्शाते हुए की चावल किस गोदाम में जमा किया जाना है, **CSMS** साफ्टवेयर से **CMR Deposit Order** परिशिष्ट– 5 अनुसार प्रारूप में जारी किया जायेगा। **Deposit Order** मिलर को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा।

19-01-2017

10.3 जिला प्रबंधक द्वारा **CMR Deposit Order** बनाते समय नियमों का ध्यान रखा जावेगा एवं गोदाम का चयन करते समय वितरण हेतु आवश्यक मात्रा का भी ध्यान रखा जायेगा ताकि द्वार प्रदाय योजना में वितरण करते समय **Cross Movement** की स्थिति नहीं बने।

10.4 **Deposit Order** में उल्लेखानुसार गोदामों पर चावल जमा किये जाने हेतु मिलर्स बाध्य होंगे। यदि मिलर्स द्वारा बिना **Deposit Order** के चावल किसी गोदाम पर जमा कराया जाता है, तो उतनी मात्रा का मिलिंग चार्जेज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10.5 जिला प्रबंधक के **Deposit Order** के बिना यदि किसी गोदाम पर चावल जमा किया जाता है, तो संबंधित प्रदाय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु **MPWLC** के शाखा प्रबंधक को भी सचेत किया जाये कि बिना **Deposit Order** के चावल जमा नहीं किया जाये।

11. मिलर्स से प्राप्त चावल (**CMR**) का गुणवत्ता परीक्षण, डाटा एंट्री एवं स्वीकृति पत्रक जारी करना–

11.1 प्रदाय केन्द्रों पर चावल प्राप्ति के समय प्रदाय केन्द्र प्रभारी द्वारा सर्वप्रथम यह देखा जायेगा कि जिला प्रबंधक द्वारा **Deposit Order** जारी किया गया है या नहीं।

11.2 यदि **Deposit Order** नहीं जारी किया गया है तो न तो चावल की गुणवत्ता जॉच की एंट्री हो पायेगी न ही चावल का स्वीकृति/अस्वीकृति पत्रक जारी किया जा सकेगा।

11.3 यदि **Deposit Order** जारी किया गया है तो चावल की गुणवत्ता जॉच संबंधी डाटा एंट्री **CSMS** में कर स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी एंट्री कराने के पश्चात चावल की प्राप्ति की डाटा एंट्री की जावेगी।

11.4 इस प्रकार प्रथम गुणवत्ता संबंधी एंट्री, स्वीकृति या अस्वीकृति तत्पश्चात चावल जमा की एंट्री की जावेगी।

12. धान मिलिंग की मॉनिटरिंग रिपोर्टस् –

12.1 धान मिलिंग प्रारंभ होने की पूर्व तैयारी से लेकर धान मिलिंग पूर्ण होने तक की सम्पूर्ण गतिविधियो की मॉनिटरिंग हेतु परिशिष्ट **6 a** से **6 c** तक रिपोर्टस् का प्रावधान किया जा रहा है। इन सभी रिपोर्टस् अनुसार नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाना अनिवार्य होगा।

12.2 उक्त रिपोर्टस् जिला/मंडल कार्यालय एवं प्रदाय केन्द्र के लॉगइन में **View Reports** ग्रुप में **Milling Reports** अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।

12.3 इन रिपोर्टस् के अलावा यदि किसी अन्य रिपोर्ट की आवश्यकता हो तो कृपया मुख्यालय कंप्यूटर कक्ष को सूचित करें।

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

13.1 मिलर्स को धान प्रदाय करने हेतु मिलरवार दूरी के आधार पर चिन्हांकित कर मिलिंग प्लान तैयार करें।

13.2 मिलर्स से चावल प्राप्त करते समय उन्हें पृथक से स्टेक प्रदाय किया जावेगा जिससे मिलरवार स्कंध संग्रहण की स्थिति दर्शित हो सकें।

13.3 मिलर्स से प्राप्त **CMR** जमा कराने के लिए चिन्हित गोदामों में मिलरवार स्टेकों हेतु स्थान पूर्व से ही निर्धारित कर लिए जाएं। स्टेक प्रत्येक मिलर के अलग–अलग लगाये जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में **MPWLC** से पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

13.4 धान का प्रदाय पहले आओं, पहले पाओं के सिद्धांत पर किया जावेगा।

13.5 प्रत्येक जिले में स्थापित प्रत्येक मिल के विद्युत कनेक्शन का प्रमाणीकरण विद्युत कंपनी से करा लिया जावें।

13.6 मिलर्स से अनुबंध करते समय यह ध्यान रखा जाये कि मिल के संचालक के विरूद्ध कस्टम मिलिंग निर्देशों के उल्लंघन का मामला तो लंबित नहीं है या विगत तीन वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं हुआ हो।

14. मिलर्स को मिलिंग चार्जेज का भुगतान –

14.1 मिलर्स को प्रतिमाह की 03 तारीख तक विगत माह किये गए मिलिंग चार्जेज का भुगतान जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा। इस हेतु देयक यथासंभव **CSMS** से प्राप्त कर पुष्टि हेतु संबंधित मिलर्स को उपलब्ध करायी जायेगी।

14.2 मिलर्स द्वारा देयक हस्ताक्षरित कर अनुबंध में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। जिला कार्यालय द्वारा 02 कार्य दिवसों में देयकों में से आवश्यक कटौत्रा कर मिलर्स को भुगतान किया जावेगा।

15. मिलर्स को परिवहन चार्जेज का भुगतान –

15.1 राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा धान एवं चावल परिवहन की दरें निर्धारित की जाती है। राज्य स्तरीय स्थायी समिति की निर्धारित दरों पर मिलर्स को धान परिवहन का भुगतान विपणन संघ द्वारा किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा अपने अनुबंधित मिलर्स से सी0एम0आर0 परिवहन के देयक प्राप्त कर सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संबंधित जिला कार्यालयों को प्रस्तुत किये जावेंगे। कार्पोरेशन के जिला कार्यालयों द्वारा प्राप्त परिवहन देयकों के विरूद्ध नियमानुसार संलग्नकों आदि के आधार पर भुगतान योग्य सी0एम0आर0 परिवहन की राशि से विपणन संघ को लिखित में अवगत कराया जायेगा, जो कि वास्तविक व्यय अथवा केन्द्र शासन से प्रावधानिक आर्थिक लागत में वितरण स्तर पर निर्धारित हैण्डलिंग एण्ड ट्रांसपोर्टेशन मद की अधिकतम राशि में से जो कम हो, निश्चित होगी। इस राशि का प्रथमतः मिलर्स को भुगतान विपणन संघ द्वारा किया जायेगा और देयकों के साथ भुगतान प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत करने पर कार्पोरेशन के जिला प्रबंधकों द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति विपणन संघ को जिला स्तर से की जायेगी।

15.2 मिलर्स के परिवहन देयकों के भुगतान की प्रकिया **LRT** एव **HLRT** परिवहनकर्ताओं के परिवहन देयक भुगतान हेतु निर्धारित प्रकिया अनुसार **CSMS** से ही किया जावेगा। मिलिंग से संबंधित समस्त जिलों द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

16. विवादों का निपटारा –

16.1 जिला स्तर पर मिलिंग संबधी अथवा अन्य प्रकार के विवादों की स्थिति में मिलर्स एवं विपणन संघ के मध्य हुये अनुबंध की कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के निराकरण हेतु विपणन संघ के प्रबंध संचालक आर्बीट्रेटर होंगे।

19-01-2017

(योगेश जोशी)
महाप्रबंधक (उपा0एवंमि0)

पृ0क0/उपा0एवंमि0/क0मि0प्र016–17/ 8338 /2017 भोपाल दिनांक 19 .01.2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमि0 भोपाल।
4. कलेक्टर जिला ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, श्योपुरकलां,होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला।
5. मुख्यलेखाधिकारी सहवित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मुख्या0 भोपाल।
6. महाप्रबंधक (भण्डारण) म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मुख्या0 भोपाल।
7. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मुख्या0 भोपाल।
8. मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 भोपाल /ग्वालियर /जबलपुर।

महाप्रबंधक (उपा0एवंमि0)

परिशिष्ट - 1

Millers Registration For Crop Year 2016-201

मिल का नाम

मिल का पता

मिल का राज्य — * M.P State — Other States

जिला — -Select- — तहसील

ग्राम / वार्ड — पिन कोड

मोबाइल नंबर — +91 — फोन न. (STD कोड के साथ)

मिल का स्वामित्व किसका है — * प्रोपाइटरशिप — फर्म

(i) यदि स्वामित्व प्रोपाइटरशिप है तो — प्रोपाइटर का नाम

प्रोपाइटर का पता

प्रोपाइटर का शहर

(ii) यदि फर्म है तो — फर्म का प्रकार

फर्म/रजिस्ट्रेशन अन्य का उल्लेख करें

मिल संचालक का नाम — मिल संचालक के पिता का नाम

मिल संचालक का स्थाई पता

भागीदार/भागीदारों का नाम — 1) — 2) — 3)

टेलीफोन न. (with STD Codes) — 1) — 2) — 3)

मिल की वर्तमान स्थिति — * चालू है — बंद है — मिल स्वयं की है या लीज पर है — * स्वयं की है — लीज पर है

यदि लीज पर ली गयी है तो — मिल मालिक का नाम — लीज अनुबंध समाप्ति की तिथि

मिल मालिक का पता

मिलिंग क्षमता (मै०टन - प्रति घंटा) — धान — गेहूँ

Crop Year 2016-2017 में प्रतिदिन कितने शिफ्ट मे काम किया जाना है? — -Select-

सेल्स टैक्स न./टिन न. — आयकर पैन नम्बर

विद्युत विभाग द्वारा आवंटित सर्विस कनेक्शन न. — विद्युत विभाग द्वारा की गयी वर्तमान रीडिंग

मंडी प्रसंस्करण कर्ता लायसेंस न. — मंडी व्यापार लायसेंस न.

मिल की भौगोलिक स्थिति दर्ज करें — अक्षांश — देशान्तर

निकटतम संग्रहण केंद्र FCI, CMR,NAN,CMR Center (in Km) — संग्रहण केंद्र — दूरी — संग्रहण केंद्र — दूरी

1) -Select- — 2) -Select-

3) -Select- — 4) -Select-

अप्रैल से सितम्बर तक मिलिंग के दौरान खपत हुई बिजली बिल की यूनिट तथा कर्मचारी की संख्या

Month	Unit Consumption	Number of Employed	Number of Shift
April			
May			
June			
July			
August			
September			

गत वर्ष की गयी कस्टम मिलिंग की मात्रा (in Qtls)

संचालक के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

कार्यरत प्रतिनिधि *

New — Submit — [illegible] — [illegible]

परिशिष्ट– 3 क

जिले के मिलर्स की मिलिंग क्षमता आकलन पत्रक

क0	राईस मिल का नाम	प्रति घंटा मिलिंग क्षमता	प्रतिदिन एक शिफ्ट की मिलिंग क्षमता	कितनी शिफ्ट चालू रहेगी	माह में 25 दिवस के मान से मिलिंग क्षमता	एक माह में कितने लाट धान दी जा सकती है।	माह फरवरी से सितम्बर तक संभावित मिलिंग की मात्रा
a	b	c	d=c*8	e	f=d*e*25	g=f/40	h=g*8

परिशिष्ट– 3 ख

प्राथमिकता कम	प्रदाय केन्द्र	ब्रांच	गोदाम	जमा धान की मात्रा	प्रतिदिन अधिकतम निकासी मात्रा	प्रारंभ दिनांक	अंतिम दिनांक
a	b	c	d	e	f	g	h

परिशिष्ट– 3ग(धान हेतु)

मिलर का नाम	प्राथमिकता कम	अनुबंध अनुसार माह में देय लाट की संख्या	अनुबंध अनुसार माह में देय लाट की संख्या	न्यूनतम दूरी के आधार					
				गोदाम	दूरी	गोदाम	दूरी	गोदाम	दूरी

परिशिष्ट– 3 घ(चावल हेतु)

मिलर का नाम	प्राथमिकता कम	अनुबंध अनुसार माह में देय लाट की संख्या	अनुबंध अनुसार माह में देय लाट की संख्या	न्यूनतम दूरी के आधार					
				गोदाम	दूरी	गोदाम	दूरी	गोदाम	दूरी

परिशिष्ट– 4 क

विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
जिला कार्यालय.....

मिलर्स को धान प्रदाय आदेश

आदेश कमांक/ दिनांक.....

प्रति,

मिलर का नाम.....
.....
.....

विषय :– धान के प्रदाय आदेश जारी करने बाबत।

संदर्भ :– आपके द्वारा किया गया अनुबंध कमांक.....दिनांक.....

आपके द्वारा विपणन संघ के जिला कार्यालय..... के साथ किए गए अनुबंध अनुसार दिनांक ..... तक .....लॉट धान की मिलिंग की जाना है। उपरोक्त के अनुकम में आपको **Delivery** लेने हेतु निम्नानुसार आदेश प्रदाय किया जाता है –

लॉट कमांक	तिथि	धान प्रदाय हेतु गोदाम	धान की मात्रा (क्विंटल में)	गोदाम की दूरी

निर्धारित दिनांकों को धान का उठाव नहीं करने पर अगले दिनांक को ही उठाव किया जा सकेगा।

जिला विपणन अधिकारी

प्रतिलिपि – प्रदाय केन्द्र प्रभारी कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट–4 ख

मिलर्स से चावल को जमा करने हेतु गोदामों की प्राथमिकता
(गोदाम से न्यूनतम दूरी के क्रम में)

क्र0	प्रदाय/संग्रहण केन्द्र का नाम	ब्रांच का नाम	गोदाम का नाम	संग्रहण क्षमता	मिलर का नाम	गोदाम से दूरी

परिशिष्ट–5

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0, जिला कार्यालय.....

CMR DEPOSITE ORDER

आदेश क0/ दिनांक

प्रति,

मिलर का नाम

.....

विषयः– सीएमआर जमा करने के संबंध में।

संदर्भः– आपके द्वारा दी गई सूचना।

आपके द्वारा सूचित किये गये अनुसार कृपया निम्न गोदामों पर सीएमआर जमा करें।

लाट कमांक	जमा दिनांक	ट्रकों की संख्या	प्रदाय केन्द्र	ब्रांच	गोदाम

(जिला प्रबंधक)

प्रतिलिपिः–प्रदाय केन्द्र प्रभारी कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जिला प्रबंधक)

परिशिष्ट–6 a

उपार्जन वर्ष ..... की धान मिलिंग की स्थिति

मात्रा मे0टन में

जिला	उपार्जित धान की मात्रा	मिलर्स के साथ अनुबंध धान की मात्रा	मिलर्स को प्रदाय धान की मात्रा	मिलर्स से प्राप्ति योग्य चावल की मात्रा	मिलर्स से प्राप्त चावल की मात्रा	मिलर्स से प्राप्ति योग्य चावल की शेष मात्रा	शेष धान की मात्रा	शेष धान मिलिंग हेतु आवश्यक अवधि (6 घण्टे प्रति दिवस / 26 दिवस प्रति माह)
1	2	3	4	5(67%of 4)	6	7=(5-6)	8=(2-4)	9
कुल मात्रा								

परिशिष्ट–6 b

उपार्जन वर्ष ..... की धान मिलिंग की मिलरवार स्थिति

मिलर्स का नाम	कुल अनुबंधित धान की मात्रा	मिलर को प्रदाय कुल धान की मात्रा	मिलर्स से प्राप्ति योग्य कुल चावल की मात्रा	मिलर्स से प्राप्त कुल चावल की मात्रा	मिलस से प्राप्ति योग्य चावल की कुल शेष मात्रा
1	2	3	4=(67%of 3)	5	6=4-5
कुल मात्रा					

परिशिष्ट–6 c

उपार्जन वर्ष ..... में मिलर्स को जारी धान का डी ओ वार विवरण

डी ओ क0 एवं दि0	डी ओ की मात्रा	लाट क0	चालान क0	दिनांक	मात्रा	प्राप्त चावल की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7